

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- फेफाना
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 01 सन 2018
अनवान :-

1. वेदप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति छिम्पा निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बलवीर 2 देवीलाल पि0 रिछपाल जाति छिम्पा निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

88 , 53।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/74 की कुल 2.9854हैक् व खाता संख्या 79/73 की कुल 2.277हैक् व चक 5 केएनएन के खाता संख्या 142/130 की कुल 2.0230हैक् चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 79/87 की कुल 2.277हैक् , चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 79/72 की कुल 5.0600हैक् , चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 243/214 की कुल 2.5290हैक् तथा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 109/75 की कुल 1.265हैक् भूमि जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। पूर्व में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी , प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं माता व बहन , सरस्वती , विमला , गीता , सोना के नाम से दर्ज हुई थी माता सरस्वती , बहन विमला , गीता , सोना ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में दस्तवरदारी करवा दी इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है जिन्होंने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता रिछपाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने बाहमी बटवारा कर लिया है कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार काश्त की सुविधा के अनुसार मुश्तरका खाता का बाहमी बटवार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। हस्तगत वाद में भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा के अनुसार बाहमी बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके वे अधिकारी है अर्थात वादी का वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की सहमति के आधार पर काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

1. वादी वेदप्रकाश रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/74 के प0न0 360/372(27) किला न0 20/0.253 ,चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 78/72 के प0न0 357/380(41) किला न0 17/0.076 ,18/0.253 ,23 ,24/0.506 ,25/ 0.228हैक् , 0.026हैक् रास्ता कुल 1.089हैक् एवं चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 109/75 के प0न0 357/381(16) किला न0 5/0.227हैक् , 0.026हैक् रास्ता , रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 79/87 के प0न0 363/365 (45) किला न0 21 ता 24/1.012हैक् प0न0 362/365(46) किला न0 16 ,17 ,23 ता 25/1.265हैक् कुल 2.277हैक् एवं रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 142/130 के प0न0 344/368(26) किला न0 7 ता 10 ,12 ता 14 ,17 कुल 2.0230हैक् भूमि रहेगी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 79/73 के 1/2 हिस्सा में प0न0 361/372(26) किला न0 3 ,8/0.506हैक् , किला न0 0.126हैक् , 12 ,13/0.506हैक् , कुल 1.138हैक् नरी एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 78/72 के प0न0 357/380(41) के किला न0 13/0.101 ,14/0.253 ,15/0.228हैक् 0.025हैक् रास्ता , प0न0 358/380(42) किला न0 11 ता 13/0.759हैक् 17 ता 24/2.024हैक् कुल 3.0390हैक् मय रास्ता रहेगी चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 109/75 के प0न0 358/381(17) किला न0 1 ता 4/1.0120हैक् भूमि रहेगी।
3. प्रतिवादी संख्या 2 देवीलाल रोही मौजा चक 1केएनएन के खाता संख्या 78/74 के प0न0 361/371(23) किला न0 16 ता 18 ,23 ता 25/1.2397हैक् प0न0 361/372(26) किला न0 4 ता 7/0.7337हैक् प0न0 360/372(27) किला न0 11 ,12 ता 19/0.759हैक् , रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 78/72 के प0न0 357/380(41) किला न0 16/0.228हैक् 0.025हैक् रास्ता , 17/0.177हैक् चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 243/214 के प0न0 347/384(42) के किला न0 6 ,15 ,16 ,25/1.012हैक् प0न0 348/384 (43) किला न0 9 ता 12 ,20 ,21/1.517हैक् कुल 2.529हैक् भूमि रहेगी ।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


 शिविर शर्मा
 राजस्व लोक अदालत-2018
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ)
 कैम्प कोट-फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. वेदप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति छिम्पा निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 बलवीर 2 देवीलाल पि० रिछपाल जाति छिम्पा निवासी फेफाना तहसील नोहर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 516 सन 2017 निर्णय दिनांक-07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

1. वादी वेदप्रकाश रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/74 के प०न० 360/372(27) किला न० 20/0.253, चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 78/72 के प०न० 357/380(41) किला न० 17/0.076, 18/0.253, 23, 24/0.506, 25/0.228 हैक्, 0.026 हैक् रास्ता कुल 1.089 हैक् एवं चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 109/75 के प०न० 357/381(16) किला न० 5/0.227 हैक्, 0.026 हैक् रास्ता, रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 79/87 के प०न० 363/365 (45) किला न० 21 ता 24/1.012 हैक् प०न० 362/365(46) किला न० 16, 17, 23 ता 25/1.265 हैक् कुल 2.277 हैक् एवं रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 142/130 के प०न० 344/368(26) किला न० 7 ता 10, 12 ता 14, 17 कुल 2.0230 हैक् भूमि रहेगी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 79/73 के 1/2 हिस्सा में प०न० 361/372(26) किला न० 3, 8/0.506 हैक्, किला न० 0.126 हैक्, 12, 13/0.506 हैक्, कुल 1.138 हैक् नरी एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 78/72 के प०न० 357/380(41) के किला न० 13/0.101, 14/0.253, 15/0.228 हैक् 0.025 हैक् रास्ता, प०न० 358/380(42) किला न० 11 ता 13/0.759 हैक् 17 ता 24/2.024 हैक् कुल 3.0390 हैक् मय रास्ता रहेगी चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 109/75 के प०न० 358/381(17) किला न० 1 ता 4/1.0120 हैक् भूमि रहेगी।
3. प्रतिवादी संख्या 2 देवीलाल रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/74 के प०न० 361/371(23) किला न० 16 ता 18, 23 ता 25/1.2397 हैक् प०न० 361/372(26) किला न० 4 ता 7/0.7337 हैक् प०न० 360/372(27) किला न० 11, 12 ता 19/0.759 हैक्, रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 78/72 के प०न० 357/380(41) किला न० 16/0.228 हैक् 0.025 हैक् रास्ता, 17/0.177 हैक् चक 5 ए बरानी के खाता संख्या 243/214 के प०न० 347/384(42) के किला न० 6, 15, 16, 25/1.012 हैक् प०न० 348/384 (43) किला न० 9 ता 12, 20, 21/1.517 हैक् कुल 2.529 हैक् भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।



राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट-फेफाना